# लन्दन में एस.ई.एन. डिसेग्रीमेंट रेजल्यूशन सर्विस

# LONDON SEN DISAGREEMENT RESOLUTION SERVICE

लन्दन में एस.ई.एन. डिसेग्रीमेंट रेजल्यूशन सर्विस (London SEN Disagreement Resolution Service - लन्दन एस.ई.एन. असहमति समाधान सेवा) एक नई क्षेत्रीय विशेष शैक्षिक आवश्यकता सेवा है, जिसे डिपार्टमेंट फॉर एजुकेशन एण्ड स्किल्स (Department for Education and Skills) से प्राप्त अनुदान धनराशि से स्थापित किया गया है। यह सेवा लन्दन एल.ई.ए., स्कूलों तथा उन विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों के माता–पिता के लिए नि:शुल्क उपल ध है जो बच्चे की विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं के बारे में अथवा इस बारे में कि बच्चे की आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जाए, स्वयं असहमत होते हैं।

## यह सेवा क्या प्रदान करती है?

यह सेवा दोनों पक्षों को, मुद्दों पर चर्चा करने हेतु किसी मध्यस्थ से एक साथ मिलने तथा किसी सहमति पर पहुंचने की कोशिश करने का अवसर प्रदान करती है। मध्यस्थ एक निष्पक्ष व्यक्ति होता है जो असहमत लोगों को संवाद में सुधार लाने तथा समस्यायों के समाधानों का पता लगाने में मदद करने के लिए उनके साथ कार्य करने में प्रशिक्षित होता है। लन्दन में एस.ई.एन. डिसेग्रीमेंट सर्विस, असहमतियों को निपटाने हेतु अनौपचारिक मंच प्रदान करके, औपचारिक कानूनी प्रक्रियाओं का विकल्प प्रदान करती है।

**डिसेग्रीमेंट रेजल्यूशन (disagreement resolution - असहमति समाधान) से किन-किन मुद्दों में मदद मिल सकती है?**

कभी-कभी माता-पिता यह पाते हैं कि वे, कुछ मुद्दों पर अपने एल.ई.ए. (LEA) से असहमत हैं उदाहरण के लिए :

- बच्चे की विशेष शैक्षिक आवश्यकताएं क्या हैं
- क्या बच्चे को उसकी आवश्यकताओं का पूर्ण मूल्यांकन प्राप्त होना चाहिए
- किसी बच्चे को उसकी विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं में स्कूल किस तरह मदद कर रहा है
- उनके बच्चे को किस स्कूल में जाना चाहिए

नि:सन्देह, ऐसी स्थानीय पैरन्ट पार्टनरशिप सर्विसेस (local Parent Partnership Services - माता-पिता भागीदारी सेवाएं) उपलब्ध हैं, जो माता-पिता की ऐसे मुद्दों में मदद करती हैं तथा कई असहमतियों का समाधान स्थानीय स्तर पर ही कर लिया जाता है। यद्यपि ऐसे भी समय आते हैं जब किसी केस के लिए कोई एकदम नया व्यक्ति, पक्षों को वार्ता के लिए एक साथ लाने में मदद करने के लिए उपयोगी हो सकता है। लन्दन में एस.ई.एन. डिसेग्रीमेंट रेजल्युशन सर्विस यह सेवा प्रदान करती है।

**यह कैसे कार्य करती है?**

लन्दन में एस.ई.एन. डिसेग्रीमेंट सर्विस के कर्मचारी यह पता लगाने के लिए दोनों पक्षों से बात करते हैं कि किस बारे में असहमति है तथा क्या प्रत्येक व्यक्ति, असहमति समाधान में भाग लेने का इच्छुक है। एक स्वतंत्र मध्यस्थ की नियुक्ति की जाती है और प्रत्येक व्यक्ति किसी सुविधाजनक स्थान पर सहमत हुई तिथि को एक साथ मिलते हैं। मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों को "अपनी बात कहने", यह निर्धारित करने कि वे क्या चाहते हैं तथा वे कौन से तरीके हैं जिनमें वे कोई संतोषजनक परिणाम प्राप्त करने में अपना योगदान कर सकते हैं, का मौका मिलता है। मध्यस्थ, मुद्दों का पता लगाने तथा एक सहमत दिशा में आगे बढ़ने में दोनों पक्षों की मदद करता है, परन्तु वह निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है - यह असहमत पक्षों पर निर्भर करता है।

**क्या असहमति के समाधान में हमेशा सहमति हो जाती है?**

नहीं, सभी मामलों में नहीं। परन्तु अधिकांश लोग, जो इस तरह की मध्यस्थता में शामिल होते हैं, अपनी बात रखने का अवसर मिलने का स्वागत करते हैं तथा इस प्रक्रिया से, अक्सर बेहतर समझबूझ और संवाद की स्थिति बनती है, भले ही मुख्य मुद्दे हल हुए बिना ही रह जायें।

**यदि हम किसी सहमति पर नहीं पहुंचते हैं, तो क्या मैं तब भी एस.ई.एन. ट्राइब्यूनल (SEN Tribunal) में अपील कर सकता हूं?**

हां। असहमति समाधान में भाग लेने से, आपके एस.ई.एन. ट्राइब्यूनल में अपील करने के अधिकार पर किसी प्रकार से प्रभाव नहीं पड़ता है।

**क्या मुझे इसमें काफी कागजी कार्यवाही करनी पड़ेगी?**

नहीं। मुलाकात से पहले, लन्दन में एस.ई.एन. डिसेग्रीमेंट रेजल्युशन सर्विस दोनों पक्षों से बात करेगी, और उन मुख्य मुद्दों का पता लगाने में उनकी मदद करेगी जिन्हें वे बातचीत के मंच पर रखना चाहते हैं। किसी भी पक्ष को कागजी कार्यवाही नहीं करनी पड़ती है। एस.ई.एन. डिसेग्रीमेंट रेजल्युशन, वास्तव में बातचीत जारी रखने से सम्बंधित है तथा इस प्रक्रिया को कागजी कार्य से यथासम्भव अलग ही रखा जाता है।

**क्या मैं किसी अन्य व्यक्ति को साथ ला सकता हूं?**

हां, माता-पिता को, डिसेग्रीमेंट सर्विस सत्र में किसी सहायक अथवा मित्र को लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। परन्तु यह एक अनौपचारिक प्रक्रिया होती है, इसलिए कानूनी प्रतिनिधि भाग नहीं ले सकते हैं।

**मैं अधिक जानकारी कैसे प्राप्त कर सकता हूं?**

उस एल.ई.ए., में जहां आप रहते हैं, में पैरन्ट पार्टनरशिप ऑफिसर (Parent Partnership Officer) से सम्पर्क करें। यदि आपको उनके सम्पर्क के नम्बर का पता नहीं है, तो इसमें आपका काउंसिल स्विचबोर्ड मदद कर सकेगा अथवा आप ऐजुकेशन डिपार्टमेंट में स्पेशल ऐजुकेशनल नीड्स डिपार्टमेंट (Special Educational Needs department - विशेष शैक्षिक आवश्यकता विभाग) से पूछ सकते हैं और वे आपको विवरण दे सकेंगे। अन्यथा 0800 389 0695 पर लन्दन में एस.ई.एन. डिसेग्रीमेंट रेजल्युशन सर्विस को कॉल करें और स्टाफ के किसी भी सदस्य को, आपको सेवा के बारे में अधिक जानकारी देकर प्रसन्नता होगी।